संख्या-105 /2021/524/22-4-2021-48(28)/13टीसी

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक-03 नवम्बर, 2021

विषय- निर्माणाधीन केन्द्रीय कारागार, इटावा में सुरक्षा. तलाशी, संचार उपकरणों एवं प्रशासन व प्रबन्ध व्यवस्था तया बंदी सुविधाओं के उन्नयन हेतु प्रस्तावित विभिन्न उपकरणों/मशीनों की व्यवस्था हेतु प्रशासकीय एवं वितीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-7183/आधु0-2/, दिनांक-17.03.2021 एवं पत्र संख्या - 12678 /आधु0-2/05 जेल/ 2020 , दिनांक-27.05.2021 का कृपया संदर्भ यहण करें ।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया निर्माणाधीन केन्द्रीय कारागार, इटावा में सुरक्षा, तलाशी, संचार उपकरणों एवं प्रशासन व्यवस्था तथा बंदी सुविधाओं के उन्नयन हेतु विभिन्न उपकरणो/मशीनों की व्यवस्था के क्रय/स्थापना कराये जाने के लिए निम्न विवरणानुसार किये जाने हेतु रू0- 6,84,79,000/- (रूपये छः करोड़ चौरासी लाख उन्नयासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती है : -

	कार्ययोजना की मुख्य मदें	प्रस्तावित लागत	क्रय का माध्यम
1	सीसीटीवी सर्विलांस इकाई	38563761	जैम पोर्टल
2	वीडियो कान्फ्रेन्सिंग इकाई	1479000	जैम पोर्टल
3	सुरक्षा/तलाशी उपकरण-(डोरफ्रेम व हैण्डहेल्ड मेटल डिटेक्टर ,स्कैनर बैगेज, रोटेट व हैण्डेल्ड सर्चलाइट)	6185000	जैम पोर्टल
4	वायरलेस सेटो की व्यवस्था	360000	जैम पोर्टल
5	इण्टरकॉम इकाई (312 लाइन)	738000	जैम पोर्टल
6	कार्यालय /ई -प्रिजन कार्य हेतु कम्प्यूटर हार्डवेयर	1172000	जैम पोर्टल
7	कार्यालय प्रबन्ध व्यवस्था हेतु उपकरण तथा सामग्री	2161557	जैम पोर्टल
8	बन्दी सुविधाएं -(आर0ओ0 प्लाण्ट , एलईडी टेलीवीजन , वाटर कूलर तथा हैवी ड्यूटी वांशिग मशीन)	4112750	जैम पोर्टल
9	आधुनिक पाकशाला (उपकरण एवं मशीनों की व्यवस्था)	9952750	जैम पोर्टल
10	चिकित्सालय साज -सज्जा सामग्री तथा उपकरण	2702206	जैम पोर्टल
11	कारागार कार्यालयों व चिकित्सालय हेतु फर्नीचर	1051950	जैम पोर्टल
	योग	68478974	

(1) महानिरीक्षक,कारागार द्वारा उपकरणो का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत शासनादेशों के अनुसार गर्वमेन्ट ई-मार्केटप्लेस (जेम) के माध्यम से किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) प्रश्नगत उपकरणो का क्रय नियमानुसार पूर्व में क्रय हेतु दिए गये सुसंगत निर्देशो के अनुक्रम में किया जाएगा ।

(3) महानिरीक्षक,कारागार द्वारा धनराशि आहरित करने से पूर्व द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त उपकरणो के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है । स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उपकरणो की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर गयी हो ।

(4) क्रय किये जाने वाले उपकरणो की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में क्रेता इकाई/महानिरीक्षक, कारागार पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे। क्रय किये जा रहे उपकरणो की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप हो ।

(5) उपकरणो के क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा , यदि कोई धनराशि बचती है तो अवशेष धनराशि के सापेक्ष कोई अन्य उपकरणो का क्रय न किया जाय ।

(6) उक्त धनराशि का व्यय स्वीकृत प्रयोजन हेतु स्वीकृत संख्या के अन्तर्गत ही किया जायेगा। किसी अन्य मद में व्यय नही किया जायेगा ।

(7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दि0- 31-3-2022 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा ।

(8) उक्त उपकरणो का क्रय शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों में निहित वित्तीय नियमों/निर्देशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा ।

(9) क्रय की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त महानिरिक्षक कारागार उ0प्र0 द्वारा इसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी ।

3- प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित मूल एवं पुनरीक्षित स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक-03.01.2015, दिनांक-31.03.2016 एवं शासनादेश दिनांक-06.10.2020 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी ।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या -25 के आय - व्ययक में लेखाशीर्षक- "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर जीगत परिव्यय -800 अन्य व्यय-08-कारागारों का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उस लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध बजट से ही वहन किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-12-216(ई0ओ0)/दस-2021 दिंनाक-02-11-2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-105/2021/524(1)//22-4-2021-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।

(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।

(4) जिलाधिकारी, इटावा।

(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(8) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।

(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।